भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2434

10.08.2023 को उत्तर के लिए

सघन वन आच्छादित क्षेत्र में कमी

2434. श्री मल्लिकार्जुन खरगे :

क्या **पर्यावरण**, **वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सघन वन आच्छादित क्षेत्र में कमी आई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने देश में सघन वन क्षेत्र में सुधार लाने के लिए कोई विशिष्ट कदम उठाए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, **वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री**
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) देहरादून, वर्ष 1987 से द्विवार्षिक आधार पर देश के वन आच्छादित क्षेत्र का आकलन करता है और इसके निष्कर्षों को भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) में प्रकाशित किया जाता है। वन आच्छादित क्षेत्र का आकलन, गहन भू-सत्यापन और राष्ट्रीय वन सूची के क्षेत्रीय आंकड़ों द्वारा समर्थित सुदूर संवेदन पर आधारित एक वॉल-टू-वॉल मानचित्रण की प्रक्रिया है। नवीनतम आईएसएफआर 2021 के अनुसार, देश में बहुत सघन वन आच्छादित क्षेत्र 99,779 वर्ग किलोमीटर है और इसमें गत आकलन अर्थात् आईएसएफआर 2019 की तुलना में 501 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है।

(ख) और (ग) यह मंत्रालय राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के अधिदेश के अनुसार देश में वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए विभिन्न केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों नामत: हरित भारत मिशन (जीआईएम), वनाग्नि निवारण एवं प्रबंधन स्कीम, काम्पा, नगर वन योजना तथा संबद्ध मंत्रालयों की अन्य स्कीमों के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

हरित भारत मिशन, जिसे वर्ष 2015-16 में शुरू किया गया था, का उद्देश्य अवक्रमित वन भूमि की पुनर्बहाली करके भारत के वन आच्छादित क्षेत्र का संरक्षण, पुनर्बहाली और संवर्धन करना तथा वन और वनेत्तर क्षेत्रों में वनीकरण कार्यकलाप आरंभ करना है।

यह मंत्रालय नगर वन योजना का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसमें वर्ष 2020-21 से 2026-27 तक की अवधि के दौरान देश में 600 नगर वनों और 400 नगर वाटिकाओं के सृजन की परिकल्पना की गई है। वन योजना का लक्ष्य शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हरित आवरण में वृद्धि करना तथा जैविक विविधता का संवर्धन करना है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विकासात्मक परियोजनाओं के लिए वन भूमि के अपवर्तन के कारण वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र को पहुंची हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिए प्रतिपूरक वनीकरण आरंभ करने के संबंध में प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 (सीएएफ अधिनियम) के उपबंधों और सीएएफ नियम, 2018 के अनुसार प्रतिपूरक निधि (काम्पा) का उपयोग किया जा रहा है।

वनीकरण कार्यकलाप, संबद्ध मंत्रालयों के विभिन्न कार्यक्रमों और स्कीमों जैसे कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, राष्ट्रीय बांस मिशन, कृषि वानिकी संबंधी उप मिशन आदि तथा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की स्कीमों के तहत भी किए जाते हैं। देश में वन आच्छादित क्षेत्र को संरक्षित और संवर्धित करने में बहु-विभागीय प्रयासों से अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं।
